भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जुलाई, 2011

संख्या का०आ० 59/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2011.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 3/ह०अ० 6/2003/ धा० 59/2011, दिनांक 13 जून, 2011 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 32 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2
"32क	माल जिस पर अन्यथा लागू कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक है जब केन्द्रीय पुलिस कैन्टीनों को बेचा जाए जो ऐसी कैन्टीनों द्वारा आगे सेवारत केन्द्रीय पुलिस बल कार्मिक और उनके भूतपूर्व सैनिक को बेचा जाए"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।